Regarding provision of stringent law to punish culprits involved in crimes against women - laid

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): राजस्थान में महिलाओं और बेटियों पर चिंताजनक परिस्थितियों में अत्याचार बढ़ रहे हैं । प्रतिदिन 16 या 17 बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं । पिछले 4 सालों में आंकड़ा 10,000 को भी पार कर चुका है । मेरे संसदीय क्षेत्र में अनेकों घटनाएं हुई और हाल ही में करौली, ओसियां, कोटा व देश के मणिपुर की आदिवासी बहनों पर किए गए जुल्म मानवता पर कलंक है । कठोर दंड के प्रावधान देश और प्रदेशों के कानून में होने आवश्यक हो गए हैं । महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने वाले दोषियों के लिए कठोर दंड के प्रावधान की मांग करती हूँ ।